

होवे। अप्रार्थीगण की तलब प्रार्थी द्वारा तलब  
जरिए रजिस्टर्ड डाक से जारी होवे। पत्रावली दिनांक 29.08.2025  
को पेश हो।

(राधेश्याम मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
भुसावर (भरतपुर)

29<sup>08</sup>/<sub>25</sub>

पत्रावली पेक्षा हुई। वकील प्रार्थी उप। वास्ते  
इंतजार रखी पत्रावली दिनांक 16.09.25 को  
पेश हो।

16<sup>09</sup>/<sub>25</sub>

पत्रावली पेक्षा हुई। वकील प्रार्थी उप। उन्हें सुना  
गया। उन्होंने अवगत कराया कि वाके ग्राह  
दीवली की आराजीयात में प्रार्थी के परि का नाम  
मोहनसिंह के स्थान पर मोहरसिंह राजस्व कर्मचारियों  
की सहवन गलती से हो गया, जबकि प्रार्थी के  
आधार काई, जन आधार काई, राशन काई, पहचान-  
पत्र तथा प्रमाण पत्र प्रशासक ग्राम पंचायत दीवली के  
अनुसार सही नाम मोहनसिंह है अतः प्रार्थी के

— — लगातर

पति का नाम शुद्ध किया जावे।

हमने बहस बलील प्राणी पर मनन किया ज्यो पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत फस्तावेजी रिकॉर्ड का मलीमंति अध्ययन किया गया उक्त के आधार पर हम नाम शुद्ध किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्राणी पत्र प्राणी खकार किया जाकर बहलीलकर, गुसावर को आदेखात किया जाता है कि आ.ख.नं. 154 रकबा 0.33 हेक्टे. वाले ग्राम दीवली तह. गुसावर में प्राणिया के पति का नाम मोहरसिंह के स्थान पर मोहनसिंह दुस्सत राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.09.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलस सुनाया गया।

पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर सेकड़ हो, बाद बहलील जाया दखिल कफतर हो।

  
सपखण्ड अधिकारी  
गुसावर (भरतपुर) राजप.